

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, बंगलूरु

सं.प्र.नि.लेप.(कें.)/प्रशा./ए/29/2025-26/186

दिनांक: 12.01.2026

परिपत्र

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा दिनांक 08.07.2025 के परिपत्र संख्या 25-2025 संख्या 1180-कार्मिक (नियु. 1) / 22-2016 के माध्यम से जारी एवं समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), बंगलूरु के कार्यालय में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग में रिक्ति के सापेक्ष अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने के लिए सेवानिवृत्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

अल्पकालिक अनुबंधों पर नियुक्तियों के नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. पात्रता:

सेवानिवृत्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी जिनके पास राज्य राजस्व/स्वायत्त निकायों की लेखा परीक्षा/खातों के प्रमाणन के संबंध में केंद्रीय राजस्व/लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा में ज्ञान है। डेटा एनालिटिक्स, एमएस ऑफिस और कम्प्यूटरीकृत वातावरण में काम करने का ज्ञान भी वांछनीय है।

2. कार्यकाल और आयु सीमा:

- i. 01.01.2026 की स्थिति के अनुसार आयु 61 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 65 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी को काम पर नहीं रखा जाएगा।
- ii. अनुबंध की अवधि शुरू में एक वर्ष होगी जो सेवाओं के प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर अधिकतम पांच शर्तों तक विस्तारित है।

3. पारिश्रमिक और भत्ते:

- क. सेवानिवृत्ति के समय आहरित वेतन से मूल पेंशन की कटौती करके प्राप्त की गई एक निश्चित मासिक राशि। इस प्रकार निर्धारित राशि अनुबंध की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी।
- ख. आवास और कार्य के स्थान के बीच आवागमन के उद्देश्य से परिवहन भत्ते के रूप में एक उपयुक्त और निश्चित राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियुक्ति पर लागू दर से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग. अनुबंध के दौरान कोई वार्षिक वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. छुट्टी:

क. अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर किराए पर लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारी को प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिनों की दर से अनुपस्थिति की भुगतान छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक छुट्टी के संचय की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, अनुपस्थिति, कर्प्स के दौरान, बंद, हड़ताल, लॉकडाउन को उसी तरह से निपटाया जाएगा जैसा कि सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में।

ख. यदि अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर काम पर रखे गए सेवानिवृत्त अधिकारी ऊपर बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों से एक महीने में भुगतान की गई छुट्टी से परे अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके पारिश्रमिक की कटौती यथानुपात आधार पर निम्नानुसार की जाएगी:

(निश्चित मासिक पारिश्रमिक) x (कार्य दिवसों पर अनुपस्थिति के दिनों की संख्या)

22

5. सौंपे जाने योग्य कर्तव्य और अन्य शर्तें:

(क) फील्ड कार्यालयों में, अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर काम पर रखे सेवानिवृत्त अधिकारी उस पद से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने, साथ ही उनके संबंधित विभागों के प्रमुखों (एचओडी) द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कर्तव्य या जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार होंगे जिसके सापेक्ष उन्हें काम पर रखा गया है।

(ख) सेवानिवृत्त अधिकारी, जहां तक संभव हो, फील्ड ऑडिट इयूटी/निरीक्षण पर प्रतिनियुक्त नहीं किए जाएंगे। अत्यावश्यकताओं के मामले में, विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से, उन्हें फील्ड ऑडिट कर्तव्यों पर प्रतिनियुक्त किया जा सकता है और सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार टीए/डीए का भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामलों में भी, वे कोई लेखा परीक्षा/निरीक्षण सापन जारी नहीं करेंगे जो केवल एक नियमित अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(ग) अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर काम पर रखे गए सेवानिवृत्त अधिकारी नियमित कर्मचारियों के एपीएआर लिखने या समीक्षा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। ऐसे मामलों में, ऊपर का अधिकारी, नियमित कर्मचारी रिपोर्टिंग अधिकारी/समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(घ) जहां आवश्यक हो, कार्यालयाध्यक्ष अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर काम पर रखे गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को उपयुक्त पहचान पत्र जारी कर सकता है।

(इ) अल्पावधि आधार पर काम पर रखा गया सेवानिवृत्त अधिकारी गोपनीयता के एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें नैतिकता और अखंडता पर एक खंड होगा।

6. नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी आधार पर है और सलाहकार की संलग्नता किसी भी समय समाप्ति के अधीन है। सलाहकार कार्यालय को एक महीने का नोटिस देकर संलग्नता को भी समाप्त कर सकता है।

7. सेवानिवृत्त अधिकारी जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और उपरोक्त असाइनमेंट के लिए तैयार हैं, वे सभी मामलों में विधिवत भरा हुआ अपना आवेदन और प्रोफार्मा (संलग्न) प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हें इस कार्यालय में डाक द्वारा या ई-मेल के माध्यम से pdacbengaluru@cag.gov.in पर 20.01.2026 तक पहुंचना होगा।

कार्यालय आवेदन को नियुक्त करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Sd/-

निदेशक/प्रशासन

प्रतिलिपि :

1. सचिव/प्र.नि.
2. व.लेप.अ./प्रशा.(लेप.-I)
3. व.लेप.अ./प्रशा.(लेप.-II)
4. सचिव/निदे./प्रशा., सीमा शुल्क, कें.स्वा.नि., निदे./जीएसटी व सेडार, उप निदे./प्र.क., व क्षे.क्ष.नि.एवं जा.कें.
5. व.लेप.अ./कें.स्वा.नि., प्र.क., जीएसटी, सीमा शुल्क, सेडार, ईडीपी व एचके
6. आधिकारिक वेबसाइट
7. राजभाषा अनुभाग (अनुवाद हेतु)


12/01/26
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

बायो-डेटा

क्रम संख्या	विवरण	
1	सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम	
2	जन्म तिथि	
3	योग्यता 1. शैक्षणिक 2. व्यावसायिक	
4	सरकारी सेवा में आने की तिथि	
5	सेवा की अवधि	
6	सेवानिवृत्ति की तिथि	
7	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद	
8	जिस पद हेतु आवेदन किया गया है।	
9	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, जिस आधार पर सेवानिवृत्ति ली गई	
10	अनुभव	
11	अतिरिक्त जानकारी, अगर कोई हो	

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम:)

**OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL),
BENGALURU**

No.PDAC/Admn/A/29/2025-26/186

Date: 08.01.2026
12

CIRCULAR

Applications are invited from retired Assistant Audit Officers for being appointed on short term contract basis, against the vacancy in the cadre of Assistant Audit Officer in the O/o the Principal Director of Audit (Central), Bengaluru, in accordance with the Guidelines issued by the Office of the Comptroller and Auditor General of India vide Circular No.25-2025 No.1180-Staff (App I)/ 22-2016 dated 08.07.2025 and as amended from time to time.

Terms and Conditions of appointment on short term contract are as under:

1. Eligibility:

Retired Assistant Audit Officers who possess knowledge in Audit of Central Revenues/Audit in respect of State Revenues/Audit of Autonomous Bodies/Certification of Accounts. A sound knowledge of data analytics, MS Office and knowledge of working in a computerized environment is also desirable.

2. Tenure and age limit:

- i. Age should not be less than 61 years as on 01.01.2026. No retired Officers shall be hired beyond the age of 65 years.
- ii. The period of Contract is initially up to a period of one year extendable up to a maximum of five terms of one year each based on the performance and requirement of services.

3. Remuneration and Allowances:

- a. A fixed monthly amount arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged for the term of the contract.
- b. An appropriate and fixed amount as transport allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement.
- c. No annual increment/percentage increase, Dearness Allowance and House Rent Allowance shall be allowed during the contract.

4. Leave:

a. Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service to the retired Officer hired on a short-term contract basis.

Accumulation of leave beyond a calendar year may not be allowed. However, absence during curfew, bandh, strike, lockdown will be dealt with in a similar way as in the case of serving officers/officials.

b. If retired officers hired on short term contract basis remain absent beyond paid leave in a month for reasons other than those indicated above, his/her remuneration will be deducted on pro-rata basis as under:

(Fixed monthly remuneration) x (No. of days of absence on working days)

22

5. Duties assignable and other conditions:

(a) In field offices, retired officers hired on a short-term contract basis shall be responsible for performing the duties related to the post against which they are hired, as well as any other duties or responsibilities assigned by their respective Heads of Departments (HoDs).

(b) Retired officers shall, as far as possible, not be deputed on field audit duty/inspection. In case of exigencies, with the approval of the HoD, they may be deputed on field audit duties and TA/DA shall be paid as per their entitlement at the time of retirement. Even in such cases, they shall not issue any audit/inspection memo which will be issued by a regular officer only.

(c) Retired officers hired on a short-term contract basis are not authorized to either write or review the APARs of regular staff. In such cases, the officer just above, the regular employee will act as the Reporting Officer/Reviewing Officer.

(d) Where considered necessary, the HoD may issue suitable Identity Cards to the retired officers hired on short term contract basis.

(e) The retired official hired on short term basis shall sign an agreement of confidentiality containing a clause on Ethics and Integrity.

6. The appointment is purely on a temporary basis, and the engagement of consultant is subject to termination at any time. The consultant may also discontinue the engagement by giving one month's notice to the office.

7. The retired officers who fulfill the eligibility criteria and are willing for the above assignment may submit their application and proforma (attached) duly filled in all respect and the same must reach this office either by post or through e-mail to pdacbengaluru@cag.gov.in latest by 20.01.2026.


The office reserves the right to appoint or reject the application.



Director/Administration

Copy to:

1. Secretary to PD
2. SrAO/Admn (Au-I)
3. SrAO/Admn (Au-II)
4. Secretaries to Dir/Admn, Customs&CAB, Dir/GST&CeDAR, DD/DT&RCB&KC
5. SrAOs of CAB, DT, GST, Customs, CeDAR, EDP&HK
6. Official Website
7. Rajbhasha Anubhag for translation



Senior Audit Officer/ Admn

BIO-DATA

Sl.No.	Particulars	
1	Name of the retired Officer	
2	Date of Birth	
3	Qualification 1. Educational 2. Professional	
4	Date of entry into Govt. Service	
5	Length of Service	
6	Date of Retirement	
7	Post held at the time of retirement	
8	Post applied for	
9	In case of Voluntarily retirement, ground on which retired	
10	Experience	
11	Additional information, if any	

I hereby declare that the information furnished above is true and correct to best of my knowledge.

SIGNATURE OF THE APPLICANT

(NAME: _____)